

महत्वपूर्ण

पत्र संख्या—एस०एस०—लक्ष्य निर्धारण—2017—18/२७ / वाणिज्य कर

कार्यालय, कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊः दिनांकः १२—०४—२०१७

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
एवं ज्वाइंट कमिशनर (कार्पोरो), ऑयल सेक्टर, मुख्यालय।

विषयः— वित्तीय वर्ष 2017—18 के नियत वार्षिक लक्ष्य की माहवार/जनपदवार फॉट

वित्तीय वर्ष 2017—18 के जोनवार, जनपदवार, मण्डलवार एवं माहवार राजस्व संग्रह लक्ष्य निर्धारित कर प्रेषित किये जा रहे हैं। निर्देशित किया जाता है कि कृपया माहवार निर्धारित लक्ष्य को अधीनस्थ अधिकारीवार विभाजन करके इस कार्यालय को दि ० 19—०४—२०१७ तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं नियत लक्ष्य की शत—प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करायें।

जुलाई—१७ से प्राविधानित जी०एस०टी० लागू होने के उपरांत माह अप्रैल—१७ से जुलाई—१७ (जून पेड जुलाई) तक के राजस्व संग्रह लक्ष्य की माहवार/जनपदवार व मण्डलवार फॉट यथावत रहेगी जबकि अगस्त (जुलाई पेड अगस्त) से लेकर मार्च—१८ तक की प्रेषित की जा रही फॉट में जी०एस०टी० के प्राविधानों के अनुसार परिवर्तन अपेक्षित है, जिसे तत्समय सूचित किया जायेगा। इस संबंध में आपसे अपेक्षित है कि कृपया वित्तीय वर्ष 2015—16 एवं वर्ष 2016—17 के माहवार व जनपदवार नॉन जी०एस०टी० गुड्स (जी०एस०टी० के बाहर की ०६ वस्तुएं पेट्रोल, डीजल, ए०टी०एफ०, नैचुरल गैस, मानव उपयोग हेतु एल्कोहलिक लिकर व क्रूड ऑयल) का डीलरवार राजस्व संग्रह (प्रान्तीय, केन्द्रीय, प्रवेश कर व कुल संग्रह) पूर्व निर्धारित प्रारूप पर संख्या अनुभाग को दि ० 25—०४—२०१७ तक शुद्ध एवं पूर्ण रूप से तैयार कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा इस अभिलेख को संबंधित खण्ड/कारपोरेट कार्यालय के अभिलेखों में वर्ष 2022—23 तक सुरक्षित रखवा दें ताकि किसी भी समय महालेखाकार कार्यालय की टीम सेम्प्ल रूप में सत्यापन करना चाहें तो तत्समय कार्यरत अधिकारी के समक्ष विषम स्थिति उत्पन्न न हो।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
३/१२/०४/१७
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिशनर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।